

प्रोफार्मा-आ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम संख्या 8532

(यह अभिलेख भवन का अनागति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या फायर स्टडी संख्या ३० वार्षिक कार्यशीलता प्रमाण पत्र/१०

दिनांक २४-०३-२०२१

संदर्भ में

स्थानीय / प्रबन्धक

ज्ञात किए गए संख्या

स्थानीय संस्थान के लिए इनप्री कुराबली रोड मैनपुरी

जनपद मैनपुरी

विषय - प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेरिटिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ - आपके पार्थना पत्र संख्या

NIL

दिनांक २४-०३-२०२१

नपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध ३०

अद्वा फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेरिटिंग हेतु शासनगादेश संख्या-1120(1) / आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये ३५०/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा मैनपुरी

जनपद मैनपुरी में चालान संख्या २००८२ दिनांक २४-०३-२०२१ पराज्ञारा जमा कराया गया। प्राप्ति सीढ़ी प्राप्त होने के उपरान्त अद्वा फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है :-

- चेकिंग का दिनांक २४-०३-२०२१
- पूर्ण चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। N.I.T.
- संस्थान का विवरण। ज्ञात किए गए संख्या लिए गए नाम कुराबली-रोड मैनपुरी
- संख्यान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। छात्र छात्र
- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। ३० अंक्षय
- चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेरिटिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
१	३-०२ फायर स्टान्डर्ड एक्सटिंग्यूशर ४०० लिटर एक्सटिंग्यूशर	५० लि	०५	कार्यशील
		५ kg.	१५	—

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शोष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वाच्चीनीय होगी। भारतीय मानक व्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार दर्शक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेरिटिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व मेवन प्रबंधक / मेवन स्थानी का होगा।

(अग्निशमन अधिकारी)

(नाम एवं दस्तावेज)
अग्निशमन अधिकारी
मैनपुरी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अधिकारी कार्यवाही हेतु प्रेगिता -
१. मुख्य अग्निशमन अधिकारी मैनपुरी
२. उप निदेशक परिषद्वीया ज्ञात किए गए नाम

अनापत्ति प्रमाण पत्र

गार्हा ली इंडिया अवग (भूमि) सिटी (2005 एवं 2006 में बनाये गये) के लिए विन्दुओं पर दिनांक 29.04.21 तो
मैनपुरी का स्थलीय नियोजन किया गया। ऐसे नियोजन लोकल अधीक्षा का भी एक हिस्सा है। सलग
गिर्वारित प्रारूप को छापाएं तो नियोजन का आदर्श अंतिम रूप बन जाता है। सलगका
गयी।

अत उच्च शैक्षणिक माध्यम हेतु आगे रुखा विषय। यह प्रमाणपत्र एक वर्ष के लिए वित्तीय
जाता है तथा नियोजित एक वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानीय अधिनियमन विभाग द्वारा यातायापन कराया
लेखा शीर्षक 0070- अंत में रुखा एवं ज्ञाव में अपना अधिकार नियोजित रखते हुए यह
सिस्टम को स्थानीय अधिनियम विभाग ने अधिकारियों एवं वैक कराया है। प्रतीक यह नवीनीकरण
कराना अनिवार्य होगा। सकूल भवन में स्थानीय अधिकारी द्वारा उनका नियोजित रखा
जाने पर जारी किया गया। इस दस्तावेज़ की नियोजन भवा बाह्य। विभागीय प्रमाणिकारी = सम
सलगका द्वीप समुद्र

सलगका यथापरि।

पत्रक संग्रहालय—अ.सु. सकूल 05/11 (एमपीआई)

दिनांक - अप्रैल ३० २०२१

(प्रमाणपत्र विभाग)
स्थानीय अधिकारी
मैनपुरी
मैनपुरी